रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 1974/आषाढ़ 21, 1896

No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 1974/ASADHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July 1974

G.S.R. 318(E)/Ess. Com./Sugarcane:—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clauses 6, 7, 8 and 9 of the said Order shall be exercisable also by the Governments of the State of Nagaland and the Union territory of Goa, Daman and Diu and further directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 1127/Ess. Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966, namely:—

In the said notification,

(i) after the word "Mysore,", the word "Nagaland,", and

(ii) after the word "Pondicherry," the words "and the Lieutenant Governor of Goa, Daman and Diu"

shall be inserted.

[No. 4-9/74-SPY]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1974

सा०का०नि० 318(अ).—आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश के खण्ड 6, 7, 8 और 9 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों नागालैंड राज्य और गोवा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा भी प्रयुक्तव्य होंगी और आगे यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1127/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) शब्द "मैसूर" के पश्चात्, शब्द "नागालैंड", और

(ii) शब्द "पांडेचेरी" के पश्चात्, शब्द "गोवा, दमन और दीव के उप-राज्यपाल" अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 4–9/74–एस० पी० वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974